

123

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।**  
(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 9490 / वाद सं० आर-1030 / एस-7 / 2021

दिनांक: 20 मार्च, 2024

श्री अवनीश मजूमदार,  
जसपुर पुरुकुल, देहरादून।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल में भवन का निर्माण किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) व 28(1) के अन्तर्गत कारण बताओं तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या आर-1030/एस-7/2021 योजित किया गया है। वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 01.11.2021, 15.11.2021, 06.12.2021, 27.12.2021, 18.4.2022, 10.07.2023, 31.07.2023, 14.08.2023, 28.08.2023, 18.09.2023, 09.10.2023, 30.10.2023, 20.11.2023, 04.12.2023, 18.12.2023, 15.01.2024, 05.02.2024, 26.02.2024 एवं 12.03.2024 की तिथियाँ नियत की गयी, जिसमें आप उपस्थित/अनुपस्थित रहें। इसी के क्रम में उपरोक्त वर्णित निर्माण में पूर्व पारित सीलिंग आदेश संख्या- 379/वाद सं० आर-1030/एस-7/2021, दिनांक 20.04.2023 के द्वारा निर्माण को दिनांक 02.02.2023 को सील कर दिया गया था, जिसमें आप द्वारा मा० आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई, जिसमें मा० आयुक्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.02.2023 में विपक्षी को 03 सप्ताह के अन्दर शमन मानचित्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सीलयुक्त निर्माण को दिनांक 28.02.2023 को शमन मानचित्र जमा कराने हेतु सीलमुक्त किया गया। इसी के क्रम में आप द्वारा शमन मानचित्र संख्या-सी०आर०-0731/22-23 प्रस्तुत किया गया था जोकि आपको सूचित आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था, जिसमें आप द्वारा आतिथि तक कोई भी नया शमन मानचित्र आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी के क्रम में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्यानानुसार लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर उक्त वाद को लम्बित रखना चाहते हैं, जो कि न्यायहित में उचित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल में भवन का निर्माण कार्य किया गया है तथा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने उपरोक्त वर्णित वाद के समाधान में कोई रुचि नहीं ली गयी है। विपक्षी वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है जो कि न्याय के विरुद्ध है। प्रकरण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में चालानशुदा अवैध निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

विपक्षी श्री अवनीश मजूमदार, जसपुर पुरुकुल, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30 गुणा 50 फीट के क्षेत्रफल में भवन का निर्माण किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है। अतः किये गये निर्माण को सील किया जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण को दिनांक 20/3/24 को सील किया जाना है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर अपना आवश्यक सामान हटा लें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की स्वयं की होगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो।

*अवनीश मजूमदार*  
20/3/24

अधिशाली अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

सत्यापित प्रति

वा.नि.पे.शा.कार  
वा.नि.पे.प्रा., देहरादून